प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' तेईस '

[23/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 5900]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक—5900 के परिशिष्ट का 'प्रपत्र'

संचालनालय उद्यानिकी एवंप्रक्षेत्र वानिकी

6वींमंजिल, विन्ध्याचलभवन, भोपाल, मध्य प्रदेश

Phon 0755-2760200 Fax-2768159

e-mail-nmsahorti@mp.gov in,website-www.mphorticulture.gov.in

क्रमांक / उद्यान / PMKSY / 1 / 2016–17 / 1598 भोपाल, दिनांक : 14.12.16

प्रति,

उप / सहायक संचालक उद्यान
जिला.......................... समस्त।

विषय:— प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के घटक Per Drop More Crop(माइको इरीगेशन) के कियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।

सन्दर्भ:— 1.क्रमांक / उद्यान / PMKSY / 1 / 2016–17 / 1259, दिनांक 01.08.2016
2.क्रमांक / उद्यान / समन्वय / सामान्य निर्देश / 2016–17 / 332, दिनांक 24.11.2016

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के घटक Per Drop More Crop(माइको इरीगेशन) में वर्ष 2016–17 में जारी लक्ष्यों के विरूद्व भौतिक वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष का लगभग तीसरा त्रैमास समाप्ति पर है किन्तु इस योजना की प्रगति नगण्य है। समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि डीबीटी योजना लागू किये जाने के लिये इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र कमांक—2 की कंडिका—7 में स्पष्ट निर्देश हैं कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कार्य संतोषजनक होने पर अनुदान का भुगतान संबंधित हितग्राही के ही बैंक खाते में कोषालय के माध्यम से किया जावेगा। किन्तु इसके लिए आवश्यक है कि कृषक / हितग्राही पहले पूर्ण राशि का भुगतान कर प्रदेश में इम्पैनल्ड ड्रिप / स्प्रिंकलर निर्माता से संयंत्र स्थापित करावे। क्षेत्रीय अधिकारियों, कृषकों एवं निर्माता कंपनियों से चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि योजना की धीमी प्रगति का मुख्य कारण यह रहा है कि हितग्राहियों के पास उक्त कार्य हेतु प्रारंभ में पूर्ण राशि भुगतान करने की क्षमता नहीं है बल्कि कृषक,हितग्राही अंश जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

भारत सरकार के पत्र कमांक—11—20 / 2015 / हार्टि, 28.11.2016 एवं संयुक्त सचिव, उद्यानिकी अनुभाग द्वारा ली गई बैठक दिनांक 13.12.2016 में यह बताया गया कि आधार नंबर से हितग्राहियों को जोडे जाने से डी.बी.टी. के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है।

प्रदेश में समस्त आवेदकों का ऑनलाईन पंजीयन एवं सत्यापन आधार कार्ड से किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये एवं योजना की भौतिक वित्तीय प्रगति शत्प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि, आगामी आदेश तक सन्दर्भित पत्र क्रमांक—1 के बिन्दु कमांक—12 के अनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे अर्थात **अनुदान सहायता कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर संयंत्र स्थापित कराने पर संबंधित कृषक के बैंक खाते में, बैंक ऋण के माध्यम से संयंत्र स्थापित कराने पर संबंधित बैंक एवं कंपनी के माध्यम से संयंत्र स्थापित कराने पर संबंधित कंपनी के बैंक खाते में देय होगी।**

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में समस्त प्रकरणों में आशय पत्र ऑन लाईन पंजीयन एवं सत्यापन उपरांत जारी किये गये हैं, संदर्भित पत्र कमांक—1 के बिन्दु कमांक—7 में वर्णित कृषक अंश की राशि कृषक द्वारा कंपनी को प्रदाय किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अर्थात बैंक ड्राफ्ट / इलेक्ट्रानिक ट्रांस्फर / आर.टी.जी.एस / एन.एफ.टी. के बैंक स्टेटमेंट कंपनी द्वारा देयक के साथ जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

ऑनलाईन पंजीयन के आवेदनों का सत्यापन करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि हितग्राही आधार कार्ड से लिंक है।

14/12/16

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

Micro letter New 716